

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश शीला हाजिर। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 113 रकबा 6.78 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.09 है0, वाके ग्राम नेठवा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित नहीं करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.08.2018 को पेश हो।

275
3

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

26/8/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी ओ साहब अन्य कार्य में व्यस्त है भ्रमण पर है। मितल गत आदेशानुसार दिनांक 7/9/18 को पेश हो

7/9/18

पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी ओ साहब अन्य कार्य में व्यस्त है भ्रमण पर है। मितल गत आदेशानुसार दिनांक 12/9/18 को पेश हो

12/9/18

~~पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी हाजिर श्री ओमप्रकाश शीला हाजिर। रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली गई। प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी के निवेदन पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की प्रकृति को देखते हुए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 113 रकबा 6.78 है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.09 है0, वाके ग्राम नेठवा तहसील रामगढ शेखावाटी जिला सीकर के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की वर्तमान स्थिति को परिवर्तित नहीं करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.08.2018 को पेश हो।~~

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी